


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4352 /

जबलपुर, दिनांक 02/07/2021
08


श्री विनायक मिश्रा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को चेतावनी दी जाती है कि पड़ोस में रहने वाले अपने सहकर्मी के साथ शांति और सदभाव बनाए रखें तथा भविष्य में त्रुटि की पुनरावृत्ति करने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।


28.7.21
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
Raj रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/4353 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 02/07/2021
08

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्था./रिसीप्ट/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर,
8. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री विनायक मिश्रा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियं कुमार)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Raj